27

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक: १२०१८ निगरानी

II/निगरानी/भिण्ड/भू.रा./2018/01304

प्रस्तुत कर्ता अभिभाषक द्वारा आज दि० 12.2.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक सुनवाई हेतु दिनांक 8.3.18 नियत।
12.2.18
क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

सुरेश पुत्र मंगल सिंह, निवासी गढ़ा मोहल्ला, वार्ड नम्बर १३, गोहद, तहसील- गोहद, जिला भिण्ड- मध्यप्रदेश ।

-------- प्रार्थी

विरुद्ध

१- पातीराम पुत्र श्री मोतीराम,

२- दैवी सिंह पुत्र नारायण,

निवासीगण गढ़ा मोहल्ला, वार्ड नम्बर-१३, गोहद, तहसील गोहद, जिला भिण्ड-म०प्र० ।

------ प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी विरुद्ध आदेश तहसीलदार, गोहद, दिनांकी ३०-१-१८, [illegible] अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ । प्र०क्र० ३९/१७-१८/अ-१२ ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का आवेदन पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

१- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय की विवादित आज्ञा कानूनन सही नहीं है ।

२- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है ।

३- यह कि, प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत आपत्तियों पर अधीनस्थ न्यायालय व्दारा समुचित विचार नहीं किया है ।

४- यह कि, कानूनन सीमांकन की जाने वाली भूमि पर फसल खड़ी होने की स्थिति में सीमांकन की कार्यवाही नहीं की जा सकती है ।

५- यह कि, विवादित भूमि पर वर्तमान में फसल खड़ी होने संबंधी स्पष्ट आपत्ति प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत आपत्ति पत्र में दी गई है

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक दो/निग./भिण्ड/भू.रा./2018/01304

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
03/07/–18	आवेदक की ओर से श्री एस. के. अवस्थी उपस्थित। यह निगरानी तहसीलदार गोहद के प्रकरण क्रमांक 36/अ–12/17–18 में पारित आदेश दिनांक 30/1/18 के विरूद्ध म. प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क दिया गया है कि अनावेदक द्वारा सीमांकन कराने का तहसीलदार न्यायालय में जो आवेदन दिया गया है वह निरस्त किए जाने योग्य है क्योंकि संयुक्त संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ है इसलिए सीमांकन की कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि तहसीलदार गौहद का आदेश दिनांक 30/1/18 निरस्त कर आवेदक की निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है। 3– आवेदक अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया अध्ययन से प्रतीत होता है कि उभयपक्ष की वर्तमान में संयुक्त	

संपत्ति होने के कारण सीमांकन की कार्यवाही नहीं की जा सकती। संयुक्त संपत्ति का पहले बंटवारा/विभाजन किया जावे उसके पश्चात सीमांकन की कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत होता है।

4– उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार गोहद के प्रकरण क्रमांक 36/अ–12/17–18 में पारित आदेश दिनांक 30/1/18 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा आवेदक की निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। प्रकरण तहसीलदार गोहद जिला भिण्ड को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित की जाता है कि वह पहले संयुक्त संपत्ति का बंटवारा होने के पश्चात ही सीमांकन की कार्यवाही करें।

सदस्य